आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)।

धारा–बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा–7 के तहत

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–04/2019–20

अशोक कुमार कर...आवेदक

बनाम

अंचल अधिकारी, राहे..विपक्षी।

आदेश

14.10.2020

प्रस्तुत वाद में अपीलार्थी–अशोक कुमार कर पे०–स्व० किंकर कर, सा०+पो०–लोवाहातु, थाना–सोनाहातु, (ओ०पी० राहे) जिला–राँची ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अंचलाधिकारी, राहे के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–40 R27/Label/2018-2019/राहे में पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्नलिखित भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया।

भूमि विवरणी

मौजा	थाना	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा
लोवाहातु	सोनाहातु	68	38	1453	24 डीसमील

चौहदीः–उ०–लेख्यकारी नीज, द०–लिटा महतो वगैरह,
पू०–लेख्कारी नीज, प०–अनन्त कोईरी।

अपीलार्थी की ओर से दायर अपील आवेदन पर सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया। अभिलेखबद्ध निम्न न्यायालय के नामांतरण मुकदमा सं०–40 R27/Label/2018-2019/राहे का अस्वीकृति की सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति का अवलोकन किया गया। जिसमें राजस्व कर्मचारी के मंतव्यानुसार आवेदित भूमि की जमाबंदी आवेदक के नाम पर पंजी2 के पेज नं० 130 भाग 1 में दर्ज है, नामांतरण अस्वीकृति हेतु अनुशंसा की गयी है। अंचल निरीक्षक के मंतव्यानुसार पंजी।। में सुखराम कोईरी पिता सिबनाथ कोईरी के नाम से जमाबन्दी कायम है परन्तु बिक्री पट्टा में सुखराम कोईरी के पिता का नाम माधो कोईरी है अतः पट्टा में नाम सुधार के पश्चात ही दाखिल खारिज की अग्रेतर कार्रवाई की जा सकती है। अंचल अधिकारी, राहे के द्वारा राजस्व कर्मचारी के अनुशंसा के आलोक में नामांतरण अस्वीकृत की गयी है।

इस संबंध में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता सुनवाई के दौरान कहते हैं कि आवेदित भूमि के विक्रेता–क्रेता छो०का०अधि० 1908 के बाहर है। विक्रेतागण सुखराम कोईरी वो किष्टो कोईरी के पिता माधो कोईरी वो शिवनाथ कोईरी ग्राम में दोनों ही नाम से जाने वो पहचाने जाते थे एवं माधो कोईरी वो शिवनाथ कोईरी एक ही व्यक्ति थे।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा उनके द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहूँचती है कि आवेदित भूमि के विक्रेता कोईरी जाति के हैं एवं कोईरी जाति सी.एन.टी. एक्ट की धारा–46 1(बी) से आच्छादित नहीं है।अतएव विक्रेता को आवेदित भूमि की बिक्री के पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं अंचलाधिकारी, राहे द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित (REMAND) किया जाता है कि अपीलार्थी को पुनः सुनकर उनसे विक्रेतागण के पिता सिबनाथ कोईरी एवं माधो कोईरी एक ही व्यक्ति होने का साक्ष्य प्राप्त कर जाँच–पड़ताल करते हुए नए सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे।

निम्न न्यायालय को इस आदेश की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

14/10

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।

14/10

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।